

**मांग संख्या 81**  
**मुख्य शीर्ष 2217**

**मद क्रमांक 1**

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अंतर्गत नगर निगमों को सहायता मद में ₹ 4017.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 40,17,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 2**

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अंतर्गत नगर पालिकाओं को सहायता मद में ₹ 1898.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 18,98,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 3**

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अंतर्गत नगर पंचायतों को सहायता मद में ₹ 2708.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 27,08,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2853**

**मद क्रमांक 4**

गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का नगरीय निकायों को अंतरण हेतु राशि ₹ 41.27 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 41,27,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 3604**

**मद क्रमांक 5**

मनोरंजन कर से प्राप्त राशि से नगर निगमों को अनुदान मद में ₹ 250.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 6**

मनोरंजन कर से प्राप्त राशि से नगर पालिकाओं को अनुदान मद में ₹ 53.53 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 53,53,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 7**

स्थानीय निकायों को समर्पित शुल्क, अर्थ दण्ड तथा अन्य प्राप्तियों अंतर्गत नगर पंचायतों को सहायता मद में ₹ 400.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।